

19/01/2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट
श्री भद्रन मोहन जोशी ने उपस्थित होकर
मिक्डेन किया कि दिनांक 18/05/2022
को खारिज करने काबर शपना चत्र
प्रस्तुत किया था। अतः दिनांक 18/05/2022
को प्रस्तुत शपना चत्र के आधार पर
पत्रावली खारिज की जाने का नोतिकिसकारण
का छाहरी राजीनामा हो चुका है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
अधिवक्ता अपीलांट के मिक्डेन पर
पत्रावली इसी स्वरूप खारिज की
जाती है। पत्रावली नंबरसे कम की
जाकर कोषिल दफ्तरी है।

19/01/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर
मोहर (हनुमानगढ़)